



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या : ६२—उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०१८—०७—विविध(२ब) / २०१८

दिनांक : २९ दिसम्बर, २०१८

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री कुशल कान्त राठौर (अ०पि०व०) (2014169) (बदायूँ), सहायक अभियन्ता (भी०-४), वैद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, बरेली को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर नियुक्त कर, प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है।

२— परिषदादेश संख्या १८४९—का.वि.नि./रा.वि.प.—२९/९७—१४काविनी/८७ दिनांक ८ अक्टूबर १९९७ में निहित प्राविधानानुसार श्री कुशल कान्त राठौर (2014169) को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह (2014173) की अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के आदेश दिनांक २६.०९.२०१८ से अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं। इस प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री कुशल कान्त राठौर (2014169), का वेतन उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह (2014173), अधिशासी अभियन्ता के समतुल्य प्रोन्नति के दिनांक २६.०९.२०१८ से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित करने के आदेश किये जाते हैं कि उन्हें प्रोन्नति के दिनांक २६.०९.२०१८ से वास्तविक कार्यभार ग्रहण के दिनांक के बीच की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।

३— यह भी आदेश किये जाते हैं कि का०ज्ञा०संख्या—४४०—काविनी/पाकालि—२९/२००० दिनांक १—६—२००० में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त प्रोन्नति की तिथि (२६.०९.२०१८) से की जायेगी।

४— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक २१—३—२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

५— सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

६— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०—५९१०—गोपन/पाकालि(०६)—२००१ दिनांक ११—६—२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

७— यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

८— उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक को कारपोरेशन के ज्ञापांक २९००—प्रशि०—१०/पाकालि दिनांक २३.१२.०३ के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

९— उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

१०— उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः.....2.....



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपकरण)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



—2—

संख्या: ६२(१)अ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / २०१८ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मार्ग ऊर्जा/ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उपरोक्त शासन, लखनऊ।
- 2— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उपरोक्त कालिंग/उपरोक्त द्राविड़ कालिंग, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाच्चल, आगरा/मध्याच्चल, लखनऊ/पूर्वाच्चल, वाराणसी/पश्चिमाच्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उपरोक्त कालिंग/उपरोक्त द्राविड़ समिशन कालिंग।
- 5— मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, उपरोक्त कालिंग, लखनऊ।
- 6— समस्त संयुक्त सचिव, उपरोक्त कालिंग/उपरोक्त द्राविड़ कालिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उपरोक्त कालिंग, लखनऊ।
- 8— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उपरोक्त कालिंग, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— उप सचिव (प्रशिक्षण)/(गोपन), उपरोक्त कालिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव

२०१८